कार्यालय : रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

पत्रांक : 177 / आर०डी०ए० / 2016–2017 दिनांक : 23/5/16

सेवा में,

श्री/श्रीमति/मैसर्स पूनम सिंघल पत्नी श्री नरेश कुमार सिंघल व श्री नरेश कुमार सिंघल पुत्र स्व० राम आसरे लाल सिंघल निवासी मो० कैलाश कालोनी तहसील सदर रामपुर।

आपके पत्र दिनांक 02/5/2016 मानचित्र स० 1636/R.D.A/2016-17 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित .... भवन निर्माण मोहल्ला/कालोनी ग्राम मढैय्यान नादर बाग रामपुर भूखण्ड/भवन सं० .... पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में कोई सुधार व्यय मांगा जाता है। तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि कोई तथ्य छिपाया जाता है तो इस दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जा सके।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 5 पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ सलग्न है। भवन का निर्माण समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप मे कार्य पूरा होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिये भवन प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे व खिड़कियां इस प्रकार लगायें कि जब खुले तो उनके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजली की लाइन से 05 फुट के अन्दर कोई निर्माण न किया जाये।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
14. यह मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनायें जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरवीजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 29/3/2016 का पालन करना होगा।
18. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
19. 12.00 मी० से अधिक ऊंचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनो में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थायें प्रशिक्षण केन्द्र, बैंकट हाल, बारात घर व 500 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी।
21. मानचित्र स्वीकृति का भू–स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

सचिव
रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर

Scanned by CamScanner